संख्या–244 /VI-2/2011–71(3)2011

प्रेषक,

डॉ0रंजीत कुमार सिन्हा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 11 मार्च, 2011

विषयः– पुनर्विनियोग के स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2620/सं0नि0उ0/दो–3/2010–11 दिनांक 25 फरवरी, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ₹ 0.93 लाख (₹ तिरानवे हजार) मात्र की धनराशि संलग्न बी0एम0–15, प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि, मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। पूर्व जारी शासनादेशों एवं अन्य निर्धारित नियमों के दृष्टिगत कहीं कोई विसंगति की स्थिति संज्ञान में आती है, तो तत्काल प्रकरण पर शासन का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

3– धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाय।

4– उक्त आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

5– धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। अनुदान संख्या–11–लेखाशीर्षक 2205–कला एवं संस्कृति–00–104– अभिलेखागार–03– राज्य अभिलेख–00–03–मंहगाई भत्ता–06– अन्य भत्ते मानक मद के आयोजनागत पक्ष में संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र के कॉलम–1 में इंगित बचतों से वहन किया जायेगा।

.....(2)

6– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1091(P)/XXVII(3)/2010–11 दिनांक 08 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 244 /VI-2/2011–71(3)2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।

संख्या– 245 /VI-2/2011–71(3)2011

प्रेषक,

डॉ0रंजीत कुमार सिन्हा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 11 मार्च, 2011

विषयः– पुनर्विनियोग के स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2619/सं0नि0उ0/दो–3/2010–11 दिनांक 25 फरवरी, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ₹ 11.50 लाख (₹ ग्यारह लाख पचास हजार) मात्र की धनराशि संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि, मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। पूर्व जारी शासनादेशों एवं अन्य निर्धारित नियमों के दृष्टिगत कहीं कोई विसंगति की स्थिति संज्ञान में आती है, तो तत्काल प्रकरण पर शासन का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

3– धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाय। धार्मिक यात्रा हेतु प्रदेश के निवासियों हेतु आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवासी होने के सम्बन्ध में पुष्टि कर ली जायेगी।

4– उक्त आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

5– धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। अनुदान संख्या–11–लेखाशीर्षक 2205–कला एवं संस्कृति–00–102– कला एवं संस्कृति

का संवर्द्धन–09–वृद्ध कलाकारों, लेखकों को मासिक पेंशन–00–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मानक मद के आयोजनागत पक्ष तथा 34– धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थाई निवासियों को आर्थिक सहायता–00–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मानक मद के आयोजनागत पक्ष में संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र के कॉलम–1 में इंगित बचतों से वहन किया जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1090(P)/XXVII(3)/2010 दिनांक 08 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 245/VI-2/2011–71(3)2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।

Budget 10-11